

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर (राजस्थान)
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक : आईईसी/कोविड प्रचार/2020/ 804

दिनांक 18/06/2020


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर – प्रथम/द्वितीय, कोटा, जोधपुर।

विषय :- जिले में कोविड-19 संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण सहित संचालित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विशेष मोबाइल प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित करने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश में कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आमजन में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 21 जून से 20 जुलाई 2020 (कुल 30 दिन) की अवधि में सहयोगी संस्थान यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से जयपुर, कोटा एवं जोधपुर जिलों में विशेष मोबाइल प्रचार-प्रसार वाहनों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। इस विशेष अभियान का क्रियान्वयन मुख्यतः कोविड-19 संक्रमण से अति प्रभावित क्षेत्रों (कनटेनमेन्ट एरिया) सहित जिले के समस्त ब्लॉक मुख्यालय एवं लगभग 100 राजस्व गांवों में प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें। अभियान के सफल संचालन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं-

1. इन विशेष मोबाइल प्रचार-प्रसार वाहन का शुभारंभ दिनांक 21 जून 2020 का किया जायेगा।
2. प्रचार सामग्री से सुसज्जित इन मोबाइल वाहनों में ऑडियो, वीडियो, प्रिंट सामग्री, माईकिंग के द्वारा कोविड-19 वायरस संक्रमण से बचाव सहित अन्य आवश्यक जानकारियां-संदेश आमजन तक पहुंचाया जायेगा।
3. जिला स्तर पर रूट प्लान (Route Plan) तैयार कर, रूट प्लान के अनुसार संबंधित जिले में प्रचार वाहन द्वारा आगामी 30 दिनों तक विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियां आयोजित की जायें। इन वाहनों के प्रभावी संचालन के लिए समुचित मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. संबंधित क्षेत्र के राजकीय अस्पतालों में उपलब्ध विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारियां उपलब्ध करवाकर प्रचार के दौरान क्षेत्र में प्रसारित की जायें।
5. अभियान के तहत कोविड प्रभावित कनटेनमेन्ट क्षेत्र में स्थानीय सामुदायिक लीडर, प्रतिष्ठितगणों द्वारा आमजन को संदेश प्रसारित करवाएं। संबंधित प्रचार क्षेत्र के कोरोना वारीयर्स - स्वास्थ्य कर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी आदि को सम्मानित करवाया जाना है।
6. अभियान का सम्पूर्ण वित्तीय व्यय यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा वहन किया जायेगा। अभियान से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं जैसे- रात्रि ठहराव इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

अतः सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर जिले का रूट-प्लान एवं प्रचार वाले क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों व वहां के प्रभारी अधिकारी का नाम/मोबाइल की सूची तत्काल ई-मेल coiec.raj@gmail.com पर उपलब्ध करवायें।



(रोहित कुमार सिंह)

अति. मुख्य सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

क्रमांक : आईईसी/कोविड प्रचार/2020/ 804

दिनांक 18/06/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकि. एवं स्वा., जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम, चिकि. एवं स्वा., जयपुर।
3. निदेशक आईईसी, चिकि. एवं स्वा., जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वास्थ्य, संभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा।
5. राज्य समन्वयक, यू.एन.एफ.पी.ए., जयपुर। (ई-मेल Jacob@unfpa.org)
6. जिला आईईसी समन्वयक, संबंधित जिले।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक आईईसी

Coiec.raj@gmail.com